



स्थापना एवं भर्ती-II अनुभाग

सं.मानू/ई.आर-II-37/ई.एफ.114/2026-27/99

दिनांक: 23.04.2026

कार्यालय आदेश

विषय: विश्वविद्यालय द्वारा अल्पकालीन अनुबंधित एवं दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के वेतन में संशोधन के संबंध में।

संदर्भ: दिनांक: 17.04.2026 को कुलपति द्वारा अनुमोदित।

<< : >>

मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय), श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार के कार्यालय द्वारा जारी दिनांक 30.03.2026 के आदेश के अनुसरण में, कुलपति महोदय की अनुमति से विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों / अनुभाग/ केंद्रों/ संस्थानों / कॉलेजों/ स्कूलों/ कार्यालयों आदि में अल्पकालिक अनुबंधित तथा दैनिक दर पर कार्य करने वाले कर्मचारियों के वेतन में संशोधन किया गया। संशोधित वेतन निम्नानुसार होगा :

मानू कार्यालयों के स्थान	श्रेणी-I(अकुशल)	श्रेणी-II(अर्ध-कुशल)	श्रेणी-III(कुशल)	श्रेणी-IV (अत्यधिक कुशल)
ए-क्लास शहर (हैदराबाद, बंगलुरु, दिल्ली, मुम्बई, कोलकाता एवं लखनऊ)	₹.523+304=827/- प्रति दिन या ₹.20675/- प्रति माह	₹.579+339=918/- प्रति दिन या ₹.22950/- प्रति माह	₹.637+371=1008/- प्रति दिन या ₹.25200/- प्रति माह	₹.693+401=1094/- प्रति दिन या ₹.27350/- प्रति माह
बी-क्लास शहर (अमरावती, असनसोल, औरंगाबाद, भोपाल, कटक, जम्मू, पटना, वाराणसी, रांची, श्रीनगर एवं विजयवाड़ा)	₹.437+256=693/- प्रति दिन या ₹.17325/- प्रति माह	₹.494+287=781/- प्रति दिन या ₹.19525 प्रति माह	₹.579+339=918/- प्रति दिन या ₹.22950/- प्रति माह	₹.637+371=1008/- प्रति दिन या ₹.25200/- प्रति माह
सी-क्लास शहर (बीदर, बडगाम, दरभंगा, कडप्पा, नूह एवं संभल)	₹. 350+206=556/- प्रति दिन या ₹.13900/- प्रति माह	₹.410+240=650/- प्रति दिन या ₹.16250/- प्रति माह	₹.494+287=781/- प्रति दिन या ₹.19525/- प्रति माह	₹.579+339=918/- प्रति दिन या ₹.22950/- प्रति माह

2. कर्मचारियों की नामावली, वर्गीकरण तथा इसमें निर्धारित अन्य नियम और शर्तें कार्यालय आदेश सं. MANUU/ER-II-37/EF.114/596 दिनांक 13.07.2018 उपरोक्त दैनिक वेतन के संशोधन को छोड़कर अपरिवर्तित रहेंगी।

3. यह आदेश दिनांक: 01 अप्रैल, 2026 से प्रभावी होंगी।

कुलसचिव

प्रति :

1. कुलपति/कुलसचिव/वित्त अधिकारी/परीक्षा नियंत्रक कार्यालय
2. सभी संकायों के संकायाध्यक्ष, विभागाध्यक्ष/अनुभागाध्यक्ष
3. सभी केन्द्रों/कॉलेजों/स्कूल/पालीटेकनीक/आईटीआई आदि के निदेशक/प्रधानाचार्य/ प्रभारी
4. निदेशक, सीआईटी विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने के अनुरोध के साथ
5. हिन्दी अधिकारी(हिन्दी अनुवाद हेतु)
6. वित्त एवं लेखा अनुभाग
7. संबंधित फाइल